उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-78/2020/एस-2-1975/दस-2020-88क(2)/2017

लखनऊ :: दिनाँक:09 नवम्बर, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी श्री रमा शंकर शुक्ला, संयुक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री शुक्ला को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-78/2020/एस-2-1975(1)/दस-2020, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।